रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1381/2025/1942/22-2-2023-17(750)/2023
लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मदेव (बन्दी संख्या-42901) पुत्र श्री रामबदन यादव, निवासी ग्राम-ब्रिन्दावन, थाना-बहरियाबाद, जनपद-गाजीपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-184/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, वाराणसी के दण्डादेश दिनांक 24.02.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.09.2005 द्वारा सजा को बहाल रखा। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.04.2014 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए 20 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.03.2023 तक अपरिहार 21 वर्ष, 08 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 24 वर्ष, 03 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है, सन्तोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1381/2025/1942(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in